

1.	योजना का नाम	बुनकरों/बुनकर समितियों को नगद पुरस्कार योजना																				
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	बुनकर/बुनकर समितियों को उनके उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रोत्साहन प्रदान करना ताकि परम्परागत कला को प्रश्रय मिल सके एवं प्रतिभा को सम्मान मिल सके।																				
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	2005-06																				
4.	लाभान्वित वर्ग	हाथकरघा बुनकर एवं हाथकरघा बुनकर सहकारी समितियां																				
5.	पात्रता	अ. जिला स्तर-बुनकर (व्यक्तिगत) एवं बुनकर समितियां ब. राज्य स्तर-जिला स्तर पर चयनित बुनकर एवं बुनकर समितियां																				
6.	देय सुविधाएं	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">जिला स्तर</th> <th colspan="2">राज्य स्तर</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>प्रथम पुरस्कार</td> <td>₹ 11000</td> <td>प्रथम पुरस्कार</td> <td>₹ 21000</td> </tr> <tr> <td>द्वितीय पुरस्कार</td> <td>₹ 5000</td> <td>द्वितीय पुरस्कार</td> <td>₹ 11000</td> </tr> <tr> <td>तृतीय पुरस्कार</td> <td>₹ 4000</td> <td>तृतीय पुरस्कार</td> <td>₹ 7100</td> </tr> <tr> <td>सांत्वना पुरस्कार</td> <td>₹ 2000X2</td> <td>सांत्वना पुरस्कार</td> <td>₹ 3100X2</td> </tr> </tbody> </table>	जिला स्तर		राज्य स्तर		प्रथम पुरस्कार	₹ 11000	प्रथम पुरस्कार	₹ 21000	द्वितीय पुरस्कार	₹ 5000	द्वितीय पुरस्कार	₹ 11000	तृतीय पुरस्कार	₹ 4000	तृतीय पुरस्कार	₹ 7100	सांत्वना पुरस्कार	₹ 2000X2	सांत्वना पुरस्कार	₹ 3100X2
जिला स्तर		राज्य स्तर																				
प्रथम पुरस्कार	₹ 11000	प्रथम पुरस्कार	₹ 21000																			
द्वितीय पुरस्कार	₹ 5000	द्वितीय पुरस्कार	₹ 11000																			
तृतीय पुरस्कार	₹ 4000	तृतीय पुरस्कार	₹ 7100																			
सांत्वना पुरस्कार	₹ 2000X2	सांत्वना पुरस्कार	₹ 3100X2																			
7.	आवेदन का तरीका	बुनकर एवं बुनकर सहकारी समितियों द्वारा आवेदन संबंधित जिला उद्योग केन्द्रों को किया जाता है।																				
8.	आवेदन कहां किया जाये	जिला उद्योग केन्द्र																				
9.	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	सादा कागज पर आवेदन एवं उत्पाद प्रस्तुत किया जाता है।																				
10.	सम्पर्क सूत्र	जिला उद्योग केन्द्र एवं हाथकरघा शाखा, आयुक्तालय, उद्योग भवन, जयपुर																				
11.	निर्धारित समय-सीमा	नहीं																				
12.	निर्धारित सहायता/सुविधाएं नहीं मिलने पर शिकायत दर्ज कराने के लिए जिस अधिकारी से सम्पर्क करना है उसका नाम	सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र																				
	शिकायत कैसे दर्ज करवानी है	साधारण पत्र द्वारा																				
	शिकायत का समाधान होने की समय-सीमा	निर्धारित नहीं																				
13.	बिन्दु संख्या 12 में उल्लेखित अधिकारी से भी शिकायत का समाधान न होने पर जिस अधिकारी से सम्पर्क करना है उसका नाम	आयुक्त, उद्योग विभाग, राज0 जयपुर																				
	शिकायत कैसे दर्ज करवानी है	साधारण पत्र द्वारा																				
	शिकायत का समाधान होने की समय-सीमा	निर्धारित नहीं																				
14.	योजना अन्तर्गत देय आर्थिक सहायता क्या बैंक में जमा होगी अथवा ड्राफ्ट/चैक के द्वारा दी जावेगी	ड्राफ्ट द्वारा																				
15.	यदि सहायता राशि बैंक में जमा होगी	N/A																				

	तो खाता खोलने के लिए किससे संपर्क करना है	
16	कैसे जानकारी होगी कि राशि खाते में जमा हो गई है	N/A
17.	योजना के अन्तर्गत क्या ऑनलाईन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है	नहीं
	यदि हां, तो वेबसाइट का पता	—